प्रेस विज्ञप्ति
29/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने मैसर्स कमला लैंडमार्क और अन्य से संबंधित धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिसमें मैसर्स कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों के स्वामित्व वाली विभिन्न साझेदारी फर्मों और निजी कंपनियों के निदेशक जितेंद्र जैन की 48.67 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति और कमला लैंडमार्क बिल्डर फर्म में भागीदार पर्वत शेट्टी की 15.29 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति अचल संपत्तियों के रूप में है, जिसमें पर्वत शेट्टी और उनके रिश्तेदारों के मुंबई स्थित 15.29 करोड़ रुपए के विभिन्न फ्लैटों सहित मुंबई में स्थित 33 करोड़ रुपए के विभिन्न फ्लैट, महाराष्ट्र में स्थित 15 करोड़ रुपए की विभिन्न कृषि भूमि और जितेंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्यों के 60 लाख रुपए के भूखंड शामिल हैं।

ईडी ने कई फ्लैट खरीदारों/निवेशकों और बैंकों के विरुद्ध 408.25 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों के जितेंद्र जैन और अन्य के खिलाफ ईओडब्ल्यू मुंबई और मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा दर्ज 37 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है।

ईडी की जांच से पता चला कि जितेंद्र जैन और अन्य ने मैसर्स कमला लैंडमार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से बैंक/एफआई से ऋण प्राप्त किए थे और जिसमें से 110.90 करोड़ रुपए की ऋण राशि को बैंक/एफआई द्वारा एनपीए घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा, जितेंद्र जैन और अन्य ने मैसर्स कमला लैंडमार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से फ्लैट या यूनिट जैसी संपत्तियों के बदले विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से लगभग 297.35 करोड़ रुपए तक की अग्रिम राशि प्राप्त की थी, हालांकि वे ऐसे व्यक्तियों को फ्लैट प्रदान करने में विफल रहे। ग्राहकों से अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि तथा बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से लिए गए ऋण, कुल मिलाकर 408.25 करोड़ रुपए, कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों से जुड़ी सहयोगी संस्थाओं, कंपनियां, फर्म, व्यक्ति, प्रमोटर, निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) को भेजे या हस्तांतरित कर दिए गए।

इसके अलावा, अपराध की आय के शोधन और उसे बेदाग दिखाने के लिए, मुख्य आरोपी जितेंद्र जैन ने पर्वत शेट्टी के साथ आपराधिक साजिश में जालसाजी के माध्यम से मैसर्स कमला लैंडमार्क बिल्डर्स (मैसर्स कमला लैंडमार्क की कंपनियों/फर्मों में से एक) का स्वामित्व पर्वत शेट्टी को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद पर्वत शेट्टी ने संपत्ति के मूल स्वामित्व को छिपाने के लिए फर्म मैसर्स कमला लैंडमार्क बिल्डर्स में बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व अपने रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दिया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।